नवीन आर.सी.ए. में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं जो पिछले आर.सी.ए. में नहीं थे।

1. टेण्डर डाक्यूमेंट की कंडिका क्रमांक 7 के अनुसार विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य एक साथ आवंटित किए जा सकेंगे जैसे ही किसी ठेकेदार को आवंटित कार्यों की संख्या पूर्ण होगी उसका नाम पोर्टल में ठेकेदार चयन की सूची से हट जावेगा एवं तब तक नहीं दिखेगा जब तक वह इनमें से कोई एक अथवा सभी कार्य पूर्ण नहीं कर लेता।

ए–1 ठेकेदार– 10 कार्य प्रति वृत्त जिन के लिए वह सूचीबद्ध है।
ए–2 ठेकेदार– 20 कार्य प्रति वृत्त जिन के लिए वह सूचीबद्ध है।
ए–3 ठेकेदार– 50 कार्य प्रति वृत्त जिन के लिए वह सूचीबद्ध है।

2. कण्डिका 10 के अनुसार ठेकेदार को अपने ईवॉलेट में न्यूनतम राशि रखना आवश्यक होगा। यदि किसी भी समय ईवॉलेट में राशि इससे कम होती है तो ठेकेदार का नाम पोर्टल से हटजावेगा एव ंतब तक पुनः नहीं दिख सकेगा जब तक वह अपन ेईवॉलेट में राशिपुनः निम्नानुसार नहीं करेगा।

ए–1 ठेकेदार– 10,000/–प्रति वृत्त जिन के लिए वह सूचीबद्ध है।
ए–2 ठेकेदार– 20,000/– प्रति वृत्त जिन के लिए वह सूचीबद्ध है।
ए–3 ठेकेदार– 30,000/– प्रति वृत्त जिन के लिए वह सूचीबद्ध है। 3. कण्डिका 12 के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने हेत ुनिम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गईहैः–

(प) ठेकेदार द्वारा कार्यादेश स्वीकार किए जाने हेतु समय सीमा– 7 दिवस।
(पप) कार्य पूर्ण किए जाने की समय–सीमा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से–45 दिवस। (क्लीन पीरियड)
4. सामान्य नियम व शर्तें अध्याय की कण्डिका 4 के अनुसार कृषक द्वार किसी ठेकेदार का चयन किए जाने पर उसे 7 दिवस के अंदर कार्य करने हेतु अपनी सहमति अथवा असहमति व्यक्त करना होगी। यदि ठेकेदार 7 दिवस तक कोई संज्ञान नहीं लेगा तो इसे उसकी असहमति मानते हुए कृषक को दूसरा ठेकेदा रचयनित करने का अधिकार होगा।

5. सामन्य नियम व शर्तें अध्याय की कण्डिका क्रमांक 11 (इ) के अनुसार यदि ठेकेदार द्वारा कार्यादेश 7 दिवस की अवधि तक स्वीकार नहीं किया जाता है तो राशि रूपये 250 प्रतिदिवस की दर से दण्ड (चमदंसजल) देय होगा एव ंठेकेदार के ई–वॉलेट से ली जावेगी ई–वॉलेट में पर्याप्तराशि न होने पर ठेकेदार को तब तक कार्यादेश जारी नहीं किए जा सकेंग जब तक वह यह राशि जमा नहीं कर देता, यदि उसके पश्चात् भी

ठेकेदार कार्यादेश स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो उसका अनुबंध पोर्टल पर किया गया रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा।

6. यदि कार्य के दौरान किसी ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसके एवार्ड निरस्त कर कम्पनी द्वारा अन्य ठेकेदारों को समान रूप से जारी किए जा सकेंगे।